मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

चिन्ता से मुक्ति

संख्याः ई–13/12/24/2014–ज.सं. दिनांकः 21.1.2015

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रमों के छात्रों के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखेगा–श्री बंडारु दत्तात्रेय ।

माननीय, श्रम और रोजगार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारु दत्तात्रेय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आइ.सी) चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों तथा संकाय को आश्वासन दिया है कि निगम उनकी चिकित्सा शिक्षा तथा हितों का पूरा ध्यान रखेगा ।

माननीय मंत्री ने क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता, चेन्नै, कर्नाटक तथा दिल्ली के उन छात्रों तथा संकाय को धैर्यपूर्वक सुना जो क.रा.बी.निगम द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ने के निर्णय के आलोक में अपने भविष्य के संबंध में चिंता लेकर उनसे चेन्नै तथा दिल्ली में मिलने आए थे । श्री दत्तात्रेय ने उनके माता–पिता से भी कहा कि वे अपने बच्चों की चिकित्सा शिक्षा के भविष्य की चिंता न करें ।

मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन महानिदेशक, क.रा.बी. निगम के साथ इस मामले की समीक्षा करने के पश्चात् दिया जा रहा है । समीक्षा में, यह महसूस किया गया कि छात्र/संकाय शेष मामले, यदि कोई हों, को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष अथवा महानिदेशक, क.रा.बी. निगम के सामने रख सकते हैं ।

चल रहे पाठ्यक्रमों से संबंधित छात्रों का हित

माननीय मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकारें चिकित्सा महाविद्यालयों को अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार हो जाती हैं तो चिकित्सा पाठ्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे । यदि राज्य सरकारें चिकित्सा महाविद्यालयों को अधिकार में लेने हेतु तैयार नहीं होतीं तो जब तक प्रवेश लेने वाले छात्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर लेते; अथवा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र के अनुसार अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में समायोजित नहीं कर लिए जाते तब तक क.रा.बी. निगम इस पाठ्यक्रम को जारी रखेगा ।

जिन परियोजनाओं को राज्य सरकारें अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार नहीं होतीं वहां चिकित्सा महाविद्यालय के लिए बनाई गई अवसंरचना को निम्नलिखित हेतु "उत्कृष्टता केन्द्र" स्थापित करने हेतु उपयोग में लाया जाएगाः–

(i) द्वितीयक देखरेख सेवाओं का विस्तार तथा उन्नयन ।

(ii) अतिविशिष्टता सेवाएं आंतरिक अथवा सार्वजनिक–निजी–भागीदारी रीति के माध्यम से मुहैया कराने हेतु ।

इस प्रकार के कार्यकलाप का कार्य क्षेत्र, अर्थात द्वितीयक और अतिविशिष्ट सेवाओं की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी ।

माननीय मंत्री महोदय ने विद्यार्थियों को अपने सुझाव देने के लिए भी कहा ।

संकाय और कर्मचारिवृन्द के हित

इसी प्रकार से संकाय के हितों का भी ध्यान रखा जाता है । जहां कहीं भी राज्यों द्वारा महाविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लिया जाता है, वहां क.रा.बी. निगम द्वारा भर्ती की गई संकाय को क.रा.बी. निगम संस्थाओं में इस प्रकार के कार्मिकों पर लागू सेवा शर्तों को किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना सेवानिवृत्ति तक राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए विकल्प दिया जाएगा । क.रा.बी. निगम, जहां कहीं भी संभाव्य होगा, इनकी वापसी/पुनः तैनाती की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा ।

इसके साथ–साथ जहां राज्य सरकारें चिकित्सा महाविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने की इच्छुक नहीं हैं, क.रा.बी. निगम द्वारा भर्ती नियमित शैक्षणिक संकाय को जहां कहीं भी संभव होगा उनकी सेवा शर्तों को प्रतिकुल रूप से प्रभावित किए बिना क.रा.बी. निगम में गैर–शैक्षणिक कार्य में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए विकल्प दिया जाएगा ।

क.रा.बी. निगम (ई.एस.आइ.सी) ने चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत चिकित्सा कार्य बल तक एक समर्पित पहुंच के आशय से चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं को आरंभ किया था । क.रा. बी. निगम ने वर्ष 2009 से 12 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण का कार्य आरंभ किया ।

हालांकि क.रा.बी. अधिनियम के उद्देश्य के दृष्टिगत, जिसमें व्याप्त कर्मचारियों (जिन्हें बीमाकृत के रूप में जाना जाता है) को बीमारी, मातृत्व और रोजगार चोट के मामलों में नकद हितलाभ प्रदान किया जाना है और बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितजनों को चिकित्सा हितलाभ प्रदान किया जाना है । यह महसूस किया गया है कि क.रा.बी. निगम के सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु बीमाकृत व्यक्ति होना चाहिए और चिकित्सा शिक्षा क.रा.बी. निगम का मूल कार्य नहीं है ।

अधिनियम के अंतर्गत नियोजकों और कर्मचारियों से निगम को अपने अंशदान का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है जो कि क.रा.बी. निगम स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं के लिए धनराशि का स्रोत है ।

तदनुसार दिनांक 4.12.2014 को आयोजित निगम की 163वीं बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1. क.रा.बी. निगम के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु बीमाकृत व्यक्तियों को प्राथमिक, द्वितीयक और अतिविशिष्ट चिकित्सा देखरेख प्रदान करना होना चाहिए ।

2. क.रा.बी. निगम को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकल आना चाहिए क्योंकि यह क.रा.बी. निगम का मूल कार्य नहीं है ।

3. चल रहे चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं जिनकी पृथक अवसंरचना है, को अनुमोदित शर्तों और निबंधन के अनुसार ऐसे स्थानांतरण की इच्छुक राज्य सरकारों को सौंप दिया जाए ।

4. क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में न तो और नए प्रवेश करेगा तथा न ही नए चिकित्सा महाविद्यालय आरंभ करेगा ।

5. चल रहे सभी चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम, उनमें दाखिला लिए गए विद्यार्थियों द्वारा अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर या राज्य सरकार द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र के उपबंधों के अनुसार समायोजित होने पर, जो भी पहले हो, जारी रहेंगे ।

उक्त बैठक में स्थानांतरण हेतु सरल और काफी उदार निबंधन और शर्तें भी क.रा.बी. निगम द्वारा अनुमोदित की गईं । अन्य बातों के साथ, इसमें यह भी शामिल किया गया है कि निर्माण पर पहले से ही उपगत की गई पूंजीगत राशि का वहन क.रा.बी. निगम करेगा ।